मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग–मॉ पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर, जिला–चम्पावत द्वारा टनकपुर, जनपद–चम्पावत में शारदा नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 384.69 है0) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग–मॉ पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर, जिला–चम्पावत द्वारा टनकपुर, जनपद–चम्पावत में शारदा नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 384.69 है0) की पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा टाइम्स ऑफ इंडिया में दि0 21.04.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियॉ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत, जिला पंचायत कार्यालय चम्पावत, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चम्पावत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चम्पावत तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी की अध्यक्षता मे दिनांक 24.05.2023 को प्रात 11.00 बजे टनकपुर प्रकाष्ठ विक्रय डिपो नंबर–2 नीलाम हॉल मे लोकसुनवाई आयोजित कि गयी। लोकसुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 डी0के0 जोशी द्वारा जनसुनवाई मे उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष उपजिलाधिकारी टनकपुर श्री सुन्दर सिह अन्य उपस्थित अधिकारीगणो का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में संक्षेप अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

उपजिलाधिकारी, टनकपुर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम मे परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा0लि0 के श्री गजानन्द मलिक द्वारा प्रस्तावित रेता बजरी, बोल्डर खनन/चुगान परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया तथा अवगत कराया गया कि मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के शारदा नदी आर.बी.एम. खनन लॉट से बालू, बजरी, बोल्डर के निष्कर्षण का प्रस्ताव 384.69 है0 खदान क्षेत्र में स्थित है। हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत शारदा रिवरबैड क्षेत्र ग्राम–टनकपुर, तहसील पूर्णागिरी, जिला–चम्पावत उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आता है। खनन परियोजना से होने वाले लाभ–हानि व समाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना मे समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मुल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का

अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है। खनन परियोजना की स्थापना प्रकिया के फलस्वरूप सामान्य जन जीवन पर अधिप्रभाव पढना स्वभाविक है। सामान्य के तौर पर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तावित की गयी है। क्षेत्र में खनन परियोजना, के कारण सामाजिक आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खनन मजदूरों के व्यवसायिक स्वास्थ व सुरक्षा के लिए निवारक उपाय किये जायेगे। खनन क्षेत्र की सीमा के साथ–साथ वृक्षारोपण किसी भी वन भूमि/वन पंचायत भूमि या सडक के किनारे किया जायेगा। खनिजों के चुगान और परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये उचित उपाय किये जाएंगे। इस परियोजना के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित होंगे। परियोजना स्थल के आसपास कुशल और अकुशल जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर परियोजना के आस–पास के गॉवों के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सद्भावपूर्ण प्रयास किया जायेगा। श्रमिकों हेतु मूलभूत सुविधायें जैसे खाना पकाने के लिए जलौनी लकडी, मजदूरों के बच्चों के लिए पुस्तकें और मुफ्त स्कूल की सुविधा तथा खुले में शौच से बचने के लिए मोबाईल शौचालय की व्यवस्था का प्राविधान खनन परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। कॉपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी सी0ई0आर0 के अन्तर्गत स्कूलों की मरम्मत, मेडिकल की सुविधा के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा, चिकित्सा शिविर प्रदूषण निगरानी, श्रमिकों को कंबल वितरण, श्रमिको के बच्चों के लिए मुस्कान केन्द्र, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय निर्माण आदि का प्राविधान परियोजना में किया गया है। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी टनकपुर चंपावत द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित जनसभा को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाली आपत्ति/सुझाव को नोट किया जायेगा तथा कहा कि पर्यावरण के प्रति सभी व्यक्तियों का अपना–अपना दायित्व है। अग्रेतर उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कहा गया कि लोकसुनवाई खनन परियोजना के आगामी पॉच वर्षो हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित कि गयी है तथा उक्त सुनवाई के अन्तर्गत आसपास के लोगों से खनन परियोजना हेतु सुझाव व आपत्ति ली जाती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त रेता बजरी, बोल्डर खनन/चुगान परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री हिमांशु पंत टनकपुर चंपावत– श्री पंत द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि खनन परियोजना के संबंध में खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले स्थायी निवासियों से सुझाव व आपत्तिया ली जानी चाहियें। खनन कार्य में अनुबंधित वाहनों के आवागमन हेतु पृथक रोड़ की व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों पर खनन का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. श्री अंकित टनकपुर चंपावत– श्री अंकित द्वारा बताया गया कि खनन कार्य में अनुबंधित वाहन मालिकों को खनन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व खनिज अधिभार के बारे में संपूर्ण जानकारी विभाग द्वारा दी जानी चाहिये। अगर जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त भी कोई वाहन खनिज अधिभार के

साथ विभाग द्वारा पकड़ा जाता है तो उस वाहन पर अग्रेतर दस वर्षो हेतु खनन हेतु प्रतिबंध लगा देना चाहियें। खनिज अधिभार का निर्धारण खनन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व संबंधित विभाग के साथ लिखित रूप से किया जाना चाहिये।

3. श्री मुकेश चन्द्र मठपाल टनकपुर चंपावत–श्री मठपाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहां गया कि वन विकास निगम क्षेत्रफल 384.69 है0 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानी हो रही है। रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय निवासीयों को दिया जाना चाहिये।

तद्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन हेतु जारी एस.यू.पी. के बारे में उपस्थित जन सभा को अवगत कराया गया तथा कहा गया कि खनन कार्य में लगे श्रमिको द्वारा दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहियें। श्रमिकों को जागरूक करने हेतु वन विकास निगम द्वारा समय–समय पर खनन क्षेत्रान्तर्गत जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाना चाहियें। अग्रेतर उपजिलाधिकारी टनकुपर द्वारा कहा गया कि नदी में खनन कार्य समाप्त होने के पश्चात् खनन मार्गो में बने गड्डों को एक अभियान चलाकर बन्द किया जाना चाहिये। उपजिलाधिकारी द्वारा पुनः लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(सुन्दर सिंह)
उपजिलाधिकारी
टनकपुर।